IJAER/May-June 2018/Volume-6/Issue-6 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

कृषि भूमि उपयोग का परिवर्तनशील स्वरूप

(बून्दी जिले का विश्लेषणात्मक अध्ययन)

Changing Agricultural Landuse Pattern

(Analytical Study of Bundi District)

डॉ. बिरधी लाल बैरवा

सह. आचाय (भूगोल विभाग)

श्री अमरचन्द राजकुमारी बरडिया जैन विश्व भारती स्नातकोत्तर महाविद्यालय

छबड़ा जिला बारां (राज0)।

Mob.- : 9602799480

अध्ययन का परिचय::–

राष्ट्र के सम्पूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि संसाधन का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है तथा देश की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसी संसाधन पर आश्रित है। इस तथ्य के बावजूद हमारे देश की कृषि उत्पादकता की दशा विश्व के अन्य देशो की तुलना में बहुत कम है। सम्भवतः लोगो का निम्न आर्थिक स्तर ही इसका एक प्रमुख कारण है। अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या ऐसे अधिवासो में निवास करती है जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक हानिकारक है साथ ही उनका पोष्टिक आहार भी निम्न स्तर का है। ऐसी परिस्थितियों में 'कृषि भूमि उपयोग के परिवर्तनशील स्वरूप' का अध्ययन विशेष रूप से और भूमि उपयोग का अध्ययन सामान्य रूप से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

भूमि एक प्रमुख संसाधन है। अतः मानव और भूमि का प्रारम्भ से ही अटूट और आधारभूत सम्बन्ध रहा है। भूमि संसाधन का बुद्धिमत्ता एवं विवेकपूर्ण उपयोग सरकार की नियोजन की मुख्य निति होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक प्रकार की भूमि का उचित एवं विशिष्ट रूप से राष्ट्रहित में उपयोग हो सके। कभी कभी भूमि का मुख्य उपयोग से सामान्य उपयोग में परिर्वतन करने से समस्याऐं पैदा हो जाती है। अतः भूमि का उचित उपयोग भूमि की उपयोगिता के आधार पर ही किया जाना चाहिए। वर्तमान में भूमि उपयोग को भूमि की उपयोगिता के आधार पर ही उपयोग में लिया जा रहा है। क्योंकि वर्तमानकाल में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि का अत्यधिक विवेकपूर्ण उपयोग का महत्व और अधिक बढ़ गया है।

मुख्य शब्द::–

भूमि उपयोग जंगलात, कृषि अयोग्य भूमि, भूमि जो कृषि के अतिरिक्त काम में ली गई है। ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि, जोत रहित भूमि, स्थायी चारागाह, अन्य गोचर भूमि, वृक्षो के झुण्ड तथा बाग, बंजड़ भूमि, पड़त भूमि, अन्य पड़त भूमि, चालु पड़त भूमि, वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल।

अवस्थिति::–

राजस्थान की छोटी काशी और कुओं एवं बावड़ियों (द सिटी ऑफ स्टेपवेल) के शहर के नाम से जाना जाने वाला बून्दी जिला राजस्थान के पांच जिलों कोटा, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलो के मध्य अवस्थित है। यह जिला 24^0 59'11'' उत्तरी अक्षांश से 25^0 53'11'' उत्तरी अक्षांश तक तथा 75^0 19'30'' से 76^0 19'30'' पूर्वी देशान्तरों के मध्य फैला हुआ है। जिसका क्षेत्रफल 5813.85 वर्ग किमी है। बून्दी जिले का जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा बून्दी जिला मुख्यालय राजस्थान की राजधानी जयपुर को

जबलपुर से जोड़ता है। बून्दी जिले की उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी सीमाऐं पर्वत श्रेणियों द्वारा सीमांकित है। चम्बल (चर्मण्यवती कामधेनु) नदी दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर बहने वाली बारहमासी नदी कोटा और बून्दी जिले की दक्षिणी–पूर्वी प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। मुख्यतः यह क्षेत्र विंद्याचलीय चट्टानों से निर्मित है। पहाड़ियाँ और पर्वत श्रृंखलाऐं इस प्रदेश की मुख्य विशेषताऐं है, जिनकी समुद्रतल से औसत ऊँचाई 300 फीट है। इन श्रेणीयों की सबसे ऊँची चोटी हिण्डौली तहसील क्षेत्र के सथूर गांव के पास स्थित है, जिसकी समुद्रतल से ऊँचाई लगभग 1739 फीट है। मेज, मांगली, कुरल, घोड़ापछाड़, तालेड़ा, चाकम और इन्द्राणी इस जिले की मुख्य नदियां है।

अवस्थिति मानचित्र

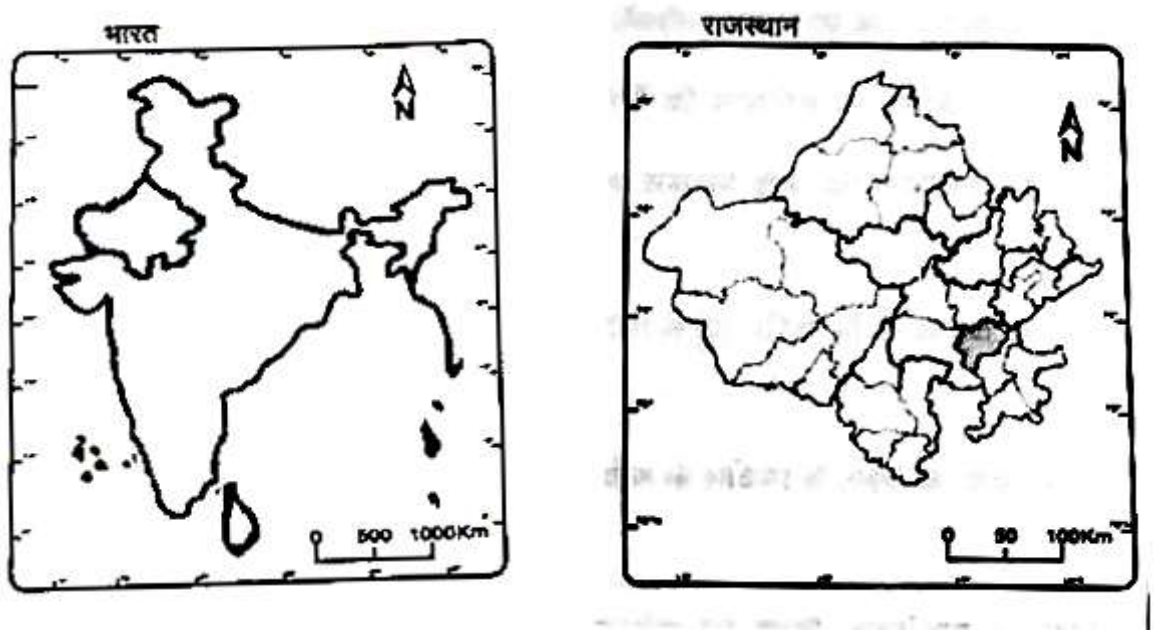

अध्ययन के उद्देश्यः:–

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सन् 1996–97 से 2016–17 के मध्य बून्दी जिले के भूमि उपयोग एवं कृषि भूमि की परिवर्तनशील प्रकृति का अध्ययन करना है।

1. भूमि उपयोग का विशिष्ट और सामयिक प्रारूप परिर्वतन और इसके वर्तमान एवं भूतकाल के उत्तरदायित्व पूर्ण कारकों और भविष्य के लिए रूचिकर योजनाओं एवं पद्धतियों का अध्ययन करना ही इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है।
2. वर्तमान प्रशासनिक स्वरूप क्या? क्षेत्र की कृषि भूमि उपयोग की विशेषताओं को कम करने में सार्थक भूमिका

अदा कर रहा है ? अतः प्रस्तुत अध्ययन में ऐसे सम्बन्धों की खोज आवश्यक है जो उपलब्ध सिंचाई साधनों (नहरों, नलकूप, कुऐं, तालाब) के ईकाइ क्षेत्र में उत्पादन, मांग, कृषि भूमि के आधुनिकीकरण के आयामों को पूरा करते हो और एकीकृत जिले के विकास में अपना योगदान रखते हो।

3. भूमि उपयोग एवं कृषि भूमि उपयोग की समस्याओं और उनके निवारण की योजनाओं के सुझावों का विश्लेषण करना।
4. सिंचाई साधनों के विशेष सन्दर्भ में उपलब्ध कृषि भूमि उपयोग में परिर्वतनों के अवसरों की क्षमता ज्ञात करना।
5. पिछले दशकों के उपलब्ध आंकड़ो के आधार पर भूमि उपयोग एवं कृषि भूमि उपयोग की प्रवृतियों का अध्ययन करना।

विधि तन्त्र ::–

यह अध्ययन प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ो पर आधारित है। भूमि उपयोग सम्बन्धी जिला स्तर के आंकड़ो की प्राप्ती भू प्रबन्ध विभाग बून्दी एवं जयपुर से तथा राज्य राजस्व मण्डल अजमेर से की गयी है, जबकि तहसील स्तर के आंकड़े तहसील कार्यालयों से और वर्षा सम्बन्धी आंकड़े जिला मुख्यालय बून्दी से प्राप्त किये गये हैं।

बून्दी जिले में भूमि उपयोग व्यवस्था (2006–07)

बून्दी एक कृषि प्रधान जिला है। मानव द्वारा एक निश्चित उद्देश्य और प्रयोजन से भूमि को किसी भी रूप में उपयोग में लिया जाता है, उसे भूमि उपयोग कहा जाता है।

फोक्स (1956) के मतानुसार भूमि उपयोग को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है– " LAND USE IS THE ACTUAL AND SPECIFIC USE TO WHICH THE LAND SURFACE IS PUT IN TERMS AT INHERENT LAND USE CHARACTERISTICS." भूमि की विशेषता के अनुसार विभिन्न रूपों में भूमि का उपयोग किया जा सकता है। सन् 1949 में निर्मित ''टेक्नीकल कमेटी ऑफ कण्डीशन्स ऑफ एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स'' ने कुछ निश्चित तथ्यों के आधार पर भूमि उपयोग को विभक्त किया है, जो इस प्रकार है–

बून्दी जिले में भूमि उपयोग व्यवस्था (2006–07)

क्रं.सं.	भूमि उपयोग श्रेणियाँ	क्षेत्रफल (% मे)
1.	जंगलात	24.37
2.	कृषि अयोग्य भूमि (अ) भूमि जो कृषि के अतिरिक्त काम में ली गई (ब) ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि	15.31 6.84 8.47
3.	जोत रहित भूमि (पहाड़ भूमि के अतिरिक्त) (अ) स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि (ब) वृक्षों के झुण्ड तथा बाग (स) बंजड़ (कृषि योग्य भूमि)	6.36 4.24 0.02 5.10
4.	पहाड़ भूमि (अ) अन्य पड़त भूमि (ब) चालू पड़त भूमि (एक वर्षीय)	7.32 4.41 2.91
5.	वास्तविक बोया गया क्षेत्र	43.64

स्त्रोतः– कार्यालय जिलाकलेक्टर (भू.अ. बून्दी)

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बून्दी जिले में सत्र 2006–7 में जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र 24. 37 प्रतिशत क्षेत्र पर जंगलात 15.31 प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि आयोग्य भूमि 9.36 प्रतिशत जोत रहित भूमि तथा 7.32 प्रतिशत भाग पर पड़त भूमि विस्तार है। जिले की कुल भूमि के 43.64 प्रतिशत भूमि पर वास्तविक बोया गया क्षेत्र फैला है।

अतः कहा जा सकता है कि सत्र 2006–07 में बून्दी जिले में सबसे अधिक भूमि वास्तविक बोये गये क्षेत्र के अन्तर्गत है, जबकि सबसे कम भूमि जोत रहित भूमि के रूप में है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत भू–भाग पर वन होने चाहिए लेकिन बून्दी जिले में वर्ष 2006–07 में केवल 24. 37 प्रतिशत भू–भाग पर ही वन है, जो राष्ट्रीय वन नीति के 33 प्रतिशत भू–भाग से 8.63 प्रतिशत वनीय भू–भाग कम है।

भिन्न समय में बून्दी जिले में भूमि उपयोग में परिर्वतन

(वर्ष 1996–97, 2000–01, 2006–07, 2012–13, 2015–16, 2016–17) ⇨

बून्दी जिले में भूमि उपयोग में अत्यधिक परिर्वतन होता जा रहा है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या का दबाव पड़ने से खाद्यानों की मांग बढ़ने से जिले का भूमि उपयोग निरन्तर परिवर्तित होता जा रहा है। जिले के सिंचित क्षेत्र में निरन्तर वृद्वि से जोती गयी भूमि का क्षेत्र निरन्तर परिवर्तित होता जा रहा है और असिंचित क्षेत्र निरन्तर घटता जा रहा है। जिले की जो भूमि अनुपजाऊ थी, जहां पानी की कमी थी, वहां सुविधायें उपलब्ध करवार भूमि को कृषि योग्य भूमि में शामिल कर लिया गया है। ऊसर, बंजर एवं पड़त भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर लेने से ऐसी भूमि का क्षेत्र लगातार कम होता जा रहा है और चारागाह भूमि में निरन्तर कमी के कारण जिले का चारागाह क्षेत्र निरन्तर सिकुड़ता जा रहा है।

इस प्रकार सम्पूर्ण बून्दी जिले का भूमि उपयोग लगातार भिन्न–भिन्न समय में परिवर्तित होता जा रहा है। भिन्न–भिन्न समय में बून्दी जिले में भूमि उपयोग में परिर्वतन को निम्न सारणी की सहायता से स्पष्ट समझा जा सकता है।

बून्दी जिले में भिन्न समय में भूमि उपयोग में परिर्वतन

क्रं.सं.	भूमि उपयोग श्रेणियां	भूमि उपयोग प्रतिशत में					
		1996–97	2000–01	2006–07	2012–13	2015–16	2016–17
1.	जंगलात	23.99	24.24	24.37	25.34	24.45	24.46
2.	कृषि अयोग्य भूमि	15.37	15.38	15.31	15.34	15.39	15.34
	(अ) भूमि जो कृषि के अतिरिक्त अन्य काम में ली गई।	6.42	6.70	6.84	6.95	7.01	7.12
	(ब) ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि	8.95	8.68	8.47	8.38	8.18	8.22
3.	जोत रहित भूमि	10.22	9.91	9.36	9.20	8.84	8.44
	(अ) स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि	3.92	4.18	4.24	4.16	7.17	4.06
	(ब) वृक्षो के झुण्ड तथा बाग	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
	(स) बंजड़ (कृषि						

	योग्य भूमि)	6.27	5.72	5.10	5.00	4.65	4.36
4.	पड़त भूमि (अ) अन्य पड़त भूमि (ब) चालू पड़त भूमि	6.43 3.66 2.77	10.02 4.41 5.61	7.32 4.41 2.19	6.70 4.54 2.16	5.87 4.15 1.72	5.72 4.35 1.37
5.	वास्तविक बोया हुआ क्षेत्रफल	43.99	44.45	43.64	44.27	45.65	46.04

स्त्रोतः– कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ. बून्दी)

बून्दी जिले में भिन्न समय में भूमि उपयोग में परिर्वतन

(1996–97, 2000–01, 2006–07, 2012–13, 2015–16, 2016–17)

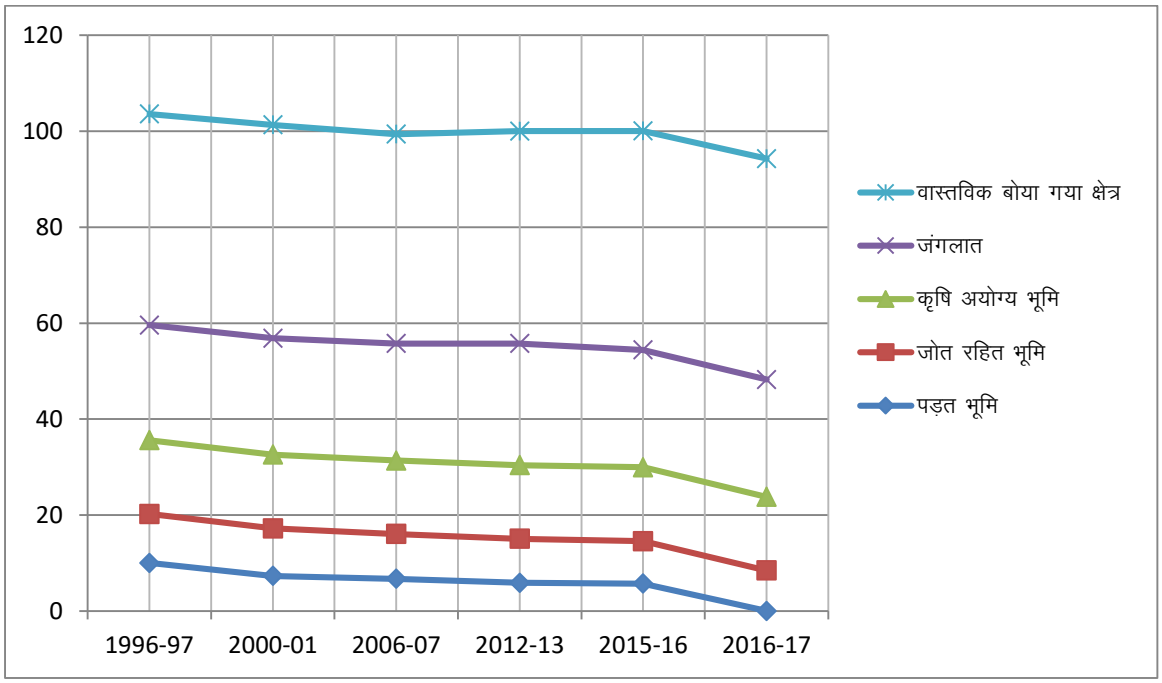

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बून्दी जिले में सत्र 1996–97 में 23.99 प्रतिशत क्षेत्र पर जंगलात था जो बढ़कर 2000–01 में 24.24 प्रतिशत हो गया। सन् 2006–07 में जिले के जंगलात क्षेत्र में कम होकर 24.37 प्रतिशत रह गया। इसी प्रकार वर्ष 2012–13 में जंगलात क्षेत्र में वृद्वि होकर 25.34 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2015–16 में जंगलात क्षेत्र कम होकर 24.45 प्रतिशत ही रह गया। वर्ष 2016–17 में जंगलात क्षेत्र में वृद्वि होकर 24.46 प्रतिशत हो गया है, जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33 प्रतिशत भाग पर वन अनुपात से कम है।

अतः 1996–97 से 2016–17 की अवधि में सर्वाधिक वृद्वि वर्ष 2012–13 में हुई है। जो जिले के वृक्षारोपण कार्यक्रम का प्रतिफल है। इसी प्रकार 1996–97 में बून्दी जिले की 15.37 प्रतिशत कृषि अयोग्य भूमि थी जो बढ़कर 2000–01 में 15.38 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार 2006–07 में कृषि अयोग्य भूमि कम होकर 15.31 प्रतिशत रह गई। जो 2012–13 में बढ़कर 15.34 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2015–16 में कृषि अयोग्य भूमि में .5 प्रतिशत वृद्वि होकर 15.39 प्रतिशत हो गयी। लेकिन वर्ष 2016–17 में जिले की कृषि अयोग्य भूमि में .5 प्रतिशत कमी होकर 15.34 प्रतिशत रह

गयी है। बून्दी जिले में 1996–97 से 2016–17 की अवधि में कृषि अयोग्य भूमि में सर्वाधिक वृद्वि वर्ष 2015–16 में हुई है। वर्ष 1996–97 में सम्पूर्ण जिले में 10.22 प्रतिशत जोत रहित भूमि थी जो कम होकर 2000–01 में 9.91 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार वर्ष 2006–07 में जिले की जोत रहित भूमि मात्र 9.36 प्रतिशत थी, जो कम होकर वर्ष 2012–13 में 9.20 प्रतिशत रह गयी। इसी क्रम में वर्ष 2015–16 में जिले की जोत रहित भूमि .36 प्रतिशत कम होकर 8.84 प्रतिशत रह गयी। वर्ष 2016–17 में जोत रहित भूमि में .44 प्रतिशत क्षेत्रफल कम हो गया इस प्रकार वर्ष 1996–97 से 2016–17 तक लगातार जोत रहित भूमि में कमी होती जा रही हैं। जो जिले के लिये चिन्ता का विषय है।

बून्दी जिले में वर्ष 1996–97 में 6.43 प्रतिशत क्षेत्र पर पड़त भूमि का विस्तार था, जो बढ़कर वर्ष 2000–01 में 10.02 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार वर्ष 2006–07 में 7.32 प्रतिश भाग पर पड़त भूमि फैली थी,जो कम होकर वर्ष 2012–13 में 6.70 प्रतिशत रह गयी। वर्ष 2015–16 में जिले की 5.87 प्रतिशत भूमि पड़त भूमि के रूप में विस्तृत थी, जो .15 प्रतिशत कम होकर वर्ष 2016–17 में मात्र 5.72 प्रतिशत ही रह गयी। इस प्रकार वर्ष 1996–97 से 2016–17 की अवधि में जिले की पडत भूमि मे लगातार कमी होती जा रही है जो जिले के विकास में आर्थिक दृष्टि से शुभ संकेत है।

वर्ष 1996–97 में सम्पूर्ण बून्दी जिले में 43.99 प्रतिशत भूमि वास्तविक बोये गये क्षेत्र के रूप में विद्यमान थी, जो बढ़कर 2000–01 में 44.45 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2006–07 में जिले में 43.64 प्रतिशत भूमि पर वास्तविक बोया गया क्षेत्र था जो बढ़कर वर्ष 2012–13 में 44.27 प्रतिशत भाग पर फैल गया। जिले का वास्तविक बोया हुआ क्षेत्र वर्ष 2015–16 में बढ़कर 45.65 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में लगातार वृद्वि करके 46.04 प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण बून्दी जिले में वर्ष 1996–97 से 2016–17 तक वास्तविक बोये गये क्षेत्र में लगातार वृद्वि होती जा रही है,जो बून्दी जिले के विकास में महत्वपूर्ण एवं शुभ संकेत है।

::–समस्याऐं और सुझाव–::

जिले में लगातार तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिये बढ़ती खाद्यान्न और आवास की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये कृषि भूमि का भविष्य कृषि अयोग्य भूमि, जोत रहित भूमि तथा पड़ती भूमि में निहित है। लोगो की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार इस भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिर्वतन करने से भारत और अन्य राज्यों की भांति बून्दी जिले में भी निरन्तर कमी होती जा रही है, जिसके लिये बढ़ते जनसंख्या दबाव से गहन कृषि होने के साथ ही अन्य कई कारक भी उत्तरदायी है। अतः कृषि अयोग्य भूमि, जोत रहित भूमि और पड़त भूमि में कमी सिंचाई साधनों की उन्नति और बढ़ते जनसंख्या दबाव और सांस्कृतिक उन्नति को प्रदर्शित करती है। यद्यपि जिले के सम्पूर्ण भाग में सिंचाई के साधन उपलब्ध है, लेकिन विद्युत की कमी के कारण कई क्षेत्र सिंचाई की सुविधा होते हुये भी असिंचित रह जाते है। इसके लिये जिले के ऐसे क्षेत्रो में जहां सिंचाई के लिये विद्युत की आवश्कता है, लेकिन उपलब्ध नही है, ऐसे क्षेत्रों में सरकार द्वारा बिजली की व्यवस्था की जायें।

शोधार्थी ने निरीक्षण किया है कि जिले में गोबर की खाद मई–जून में डाली जाती है। इन महीनो में सम्पूर्ण जिले में तापमान अधिक और आर्द्रता में अत्यधिक कमी होने के कारण खाद में नमी नही रह पाती है और धूल भरी तेज हवाऐं खेतो में से खाद को उड़ाकर ले जाती है। खेतों में खाद देने का उचित समय जुलाई–अगस्त या अक्टूबर–नवम्बर महीने है। मिट्टी मे उर्वरा शक्ति फसल चक्र अपनाकर भी लाई जा सकती है। इसके बारे में जिले के किसानो में जागरूकता आ गई है तथा अधिकांश खेतो में फसल चक्र भी अपनाया जा रहा है, लेकिन अभी बड़ी संख्या में किसान इससे अनभिज्ञ है। अतः फसल चक्र का महत्व गांवो में किसानो को समझाना है।

यहां न केवल कृषि भूमि उपयोग में तेज गति से परिर्वतन हुआ है, बल्कि बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण पड़त भूमि में लगातार कमी हो रही है, जिस कारण जिले की ऊसर और बंजड़ भूमि में कमी हो रही है तथा चारागाह क्षेत्र भी निरन्तर परिवर्तित हो रहा है, तथा ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि में निरन्तर कमी होती जा रही है। जिस कारण जंगलात क्षेत्र में कमी हो रही है। जिले के वास्तविक बोये गये क्षेत्र में निरन्तर वृद्वि के कारण जोत रहित क्षेत्र निरन्तर परिवर्तित होता जा रहा है।

अध्ययन और विशलेषण के आधार पर ध्यान देने योग्य तथ्य::–

1. जिले की नदियों में जल की पर्याप्त सम्भावना है। उन पर जगह–जगह बांध बनाकर उनके पानी को सिंचाई

के लिये उपयोग में लेने से कृषि विकास में महत्वपूर्ण वृद्वि सम्भव है।

2. जिले की मिट्टी छिछली काली, मिश्रित लाल काली, कांपीय, मध्यम काली और गहरी काली है, जो उपजाऊ भी है और विविध फसल प्रारूप के लिए उपयुक्त भी है। यह मिट्टी जिले में उत्पादित होने वाली खाद्यान और व्यापारिक फसलों के लिए उपयुक्त है। इसमें सिंचाई की सहायता से कृषि अधिकांश विकास सम्भव है।
3. वर्षा के उतार–चढ़ाव और अनियमितता को अच्छे फसल प्रारूप प्रबन्धन एवं सिंचाई सुविधाओं के विकास द्वारा पूरा किया जा सकता है।
4. जिले में केशोरायपाटन तहसील के कोड़क्या बालाजी गाँव के ऊपर मेज एवं तालेड़ा नदी के मिलन स्थल के पास बांध बनाकर सिंचाई करने से कृषि विकास में वृद्वि सम्भव है।
5. जिले की नैनवां एवं हिण्डौली तहसील क्षेत्रो मे अधिकतर कुओं से सिंचाई होती है। अतः इस क्षेत्र में विद्युत की उपलब्धता से कृषि विकास सम्भव है।
6. क्षेत्र में सुगमता भी कम है। इसके लिये विकास पर ध्यान दिया जाये ताकि सीधे एवं शिघ्र बाजार में पहुंचने में सुविधा हो। इसके लिये सड़को का ग्राम स्तर तक सुधार आवश्यक है।
7. तिलहन और धनिये पर निर्भर कृषि उद्योगों को तहसील स्तर तक बढ़ाया जाये।
8. जिले में नहरों द्वारा नहरों के निकट क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई करने से भूमि का लवण ऊपर आ जाता है, जिससे भूमि में दरारे पड़ जाती है और भूमि टाईट हो जाती है।

अतः खेतों में नहरो के पानी को सीमित मात्रा में पिलाने से भूमि की उर्वरता को बनाये रखा जा सकता है, तथा खेतों में सुपर फास्फेट का छिड़काव करने से कृषि का विकास सम्भव है।

भूमि न केवल कृषि के लिये है अपितु यह पूरे पारिस्थितिकी तन्त्र के विकास के लिये। अतः विभिन्न कार्यो के लिये इसकी उन्नति आवश्यक हैं। अतः आवश्यक नही है कि कृषि अयोग्य भूमि को कृषि कार्य के अन्तर्गत ही लाया जाये। इस भूमि को वन्य क्षेत्र के रूप में भी उन्नत किया जा सकता है। क्योंकि वर्तमान समय में वानस्पतिक आवरण बढ़ाने के लिये इस भूमि को वन क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करना ही सबसे अच्छा उपाय है। कृषि के लिये भूमि की बढ़ती हुई मांग को कम करने के लिये कृषि आधारित उद्योगो को विकसित किया जाना सम्पूर्ण बून्दी जिले के विकास के लिये अति आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Boserup, E.(1965) : The Conditions of Agricultureal Growt.
   The Economics of Agriarian Change under Population Pressure Allen a Unwin, London
2. Clark, C (1967) : Population Growth and Land use st Marthin's New York.
3. Chauhan, T.S. (1987) : Agricultural Geography a Study of Rajasthan State: Academic Publisher's Jaipur.
4. DE N.K. (1982) : Land Classification: A Study in Applied Geograph in Per Specitive of Geomorphology (Ed.) by H.S. Sharma. Vol. III P.P. 179-190
5. : जिला सांख्यिकी रूप रेखा जिला बून्दी, जनगणना निदेशालय जयपुर राजस्थान
6. : कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ. बून्दी)
7. Goral, G.S. and B.S. Ojha(1967) : Agricultural Land use in Punjab: The Indian Institute of Public Administration, New Delhi.
8. Jha, B.N. (1980) : Problems of Land Utilization Vol. V. The Ind. Soc. Agri. Eco, Bombay

9. Mishra. V.C. (1967) : Geography of Rajasthan National Book Trust India, New Delhi.
10. Shafi, M. (1960) : Land Utilization in Eastern Uttar Pradesh, Amu, Aligarh.